मुन्नीलाल बनाम राज. सीकर मु.न. 55/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
28.11.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... सत्यमेव जयते सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 55/2021

1 मुक्तिलाल आयु 42 साल पुत्र श्री प्रभाता
2 गिरधारी आयु 60 साल पुत्र श्री छोटूराम
3 शिम्भुदयाल आयु 46 साल पुत्र श्री छोटूराम
4 झाबर आयु 50 साल पुत्र श्री गोविन्दा
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम दरीबा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर महोदय सीकर।
2 राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय ढाणी लालावाली तन दरीबा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. जरिये प्रधानाध्यापक राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय ढाणी लालावाली तन दरीबा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

3 श्रीमती नानची आयु 80 साल पत्नी स्व. श्री छोटूराम (नाम हजफ दिनांक 21.06.2024)
4 गोपाल आयु 50 साल पुत्र श्री छोटूराम
5 मूलचन्द आयु 52 साल पुत्र श्री मांगू राम
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम दरीबा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

प्रर्फोमा रेस्पोडेन्टस

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2021 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी महोदय नीमकाथाना राजस्व वाद
संख्या 30/2017 बउनवानी मुक्तीलाल आदि बनाम
बृजेश कुमार सहायक कलेक्टर महोदय फास्ट ट्रेक
नीमकाथाना जिला सीकर राज.

उपस्थिति :

1. श्री झाबरमल रायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—28.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 30/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1305, 1306, 1307, 1317, 1318, 1319, 1320, 1324, 1325, वाके ग्राम दरीबा तहसील नीमकाथाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जो प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया उसके पठन से यह पूर्णतया साबित है कि प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दु विधि एवं साक्ष्य के न्दि जिसका निस्तारण वाद पत्र में उभयपक्षों की साक्ष्य आने के बाद ही किया जा सकता है विचारण न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर कतई गौर न कर चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान आदेश अवैध एवं शुन्य घोषित किये जाने एवं पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान की आड में अपीलान्टस के भूमि खसरा नम्बर 300 पर अपीलान्ट का कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग में व्यवधान करने के संबंध में निषेधाज्ञा चाही गई उक्त सहायतायें रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्राप्त करने का अधिकारी है जिसमें कानूनन किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होते हुए भी अपने निर्णय व डिक्री दिनांकित 05.04.2021 में यह उल्लेखित कर कि वादीगण भूमि के खातेदार होने के कारण उद्घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है अतः वादी खारिज किया जावे जो कानून विधि सम्मत नहीं होने के कारण चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2021 अपास्त किये जाने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत वाद एंव राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2071 से 2074 ग्राम दरीबा के अनुसार वादीगण द्वारा जो वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है वह ग्राम दरीबा की भूमि खसरा नम्बर 1300 रकबा 0.70 हैक्टेयर को लेकर प्रस्तुत किया गया है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि खसरा नम्बर 1333/2, 1334/2 किता 2 रकबा 0.80 हैक्टेयर की खातेदारी राजकीय संस्कृत प्रा.वि. ढाणी लीलावाली दरीबा के नाम दर्ज रिकार्ड है अर्थात उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण द्वारा जिस भूमि को लेकर वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है उसकी पूर्व से ही खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा जो वाद घोषणा का प्रस्तुत किया गया है वह बिना संदेह के की दर्शित होता है कि वह विधि द्वारा वर्जित है। जहां तक पत्थरगढ़ी के आदेश का प्रश्न है वादीगण यदि किसी प्रकार से पत्थरगढ़ी आदेश से प्रभावित है तो उनको सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील/निगरानी करनी चाहिये थी। वाद के जरिये वादीगण द्वारा पत्थरगढ़ी आदेश को शुन्य या अवैध घोषित करवाने हेतु जो घोषणा चाही गई है वह विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है कि प्रस्तुत वाद एंव राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2071 से 2074 ग्राम दरीबा के अवलोकन से पाया गया कि वादीगण द्वारा जो वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है वह ग्राम दरीबा की भूमि खसरा नम्बर 1300 रकबा 0.70 हैक्टेयर को लेकर प्रस्तुत किया गया है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि खसरा नम्बर 1333/2, 1334/2 किता 2 रकबा 0.80 हैक्टेयर की खातेदारी राजकीय संस्कृत प्रा.वि. ढाणी लीलावाली दरीबा के नाम दर्ज रिकार्ड है अर्थात उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण द्वारा जिस भूमि को लेकर वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है उसकी पूर्व से ही खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा जो वाद घोषणा का प्रस्तुत किया गया है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वह बिना संदेह के की दर्शित होता है कि वह विधि द्वारा वर्जित है। जहां तक पत्थरगढ़ी के आदेश का प्रश्न है वादीगण यदि किसी प्रकार से पत्थरगढ़ी आदेश से प्रभावित है तो उनको सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील/निगरानी करनी चाहिये थी। वाद के जरिये वादीगण द्वारा पत्थरगढ़ी आदेश को शुन्य या अवैध घोषित करवाने हेतु जो घोषणा चाही गई है वह विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर